

27/14/2012-एस0आर0एस0  
भारत सरकार  
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली,  
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश सरकार,  
सचिवालय, लखनऊ।

मुख्य सचिव,  
उत्तराखंड सरकार,  
सचिवालय, देहरादून।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री सीताराम धोबाल, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग से अनुसूचित जाति/जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में श्री सीताराम धोबाल, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग से अनुसूचित जाति/जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत प्राप्त उत्तर प्रदेश पुनरावंटन हेतु प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि श्री धोबाल उत्तराखंड राज्य के मूलनिवासी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कार्मिक है और उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य हेतु विकल्प दिया गया था । अतः समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 24.06.2010 के आधार पर उनका राज्य पुनरावंटन उत्तराखंड के लिए किए जाने कि संस्तुति कि गई ।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री सीताराम धोबाल, कनिष्ठ अभियंता का राज्य पुनरावंटन अनुसूचित जाति/जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए किया

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन  
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan  
प्राप्ति और निर्गम विभाग  
Receipt & Issued Section

जाता है ।  
संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे में सूचित किया जाये ।

26 JUN 2013

जारी किया/ISSUED

प्रतिलिपि:-

- (1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (2) श्रीमति हेमलता ढोंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।

भवदीय,  
(सारंगधर नायक )  
आवर सचिव, भारत सरकार